



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-261

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 251749 दिनांक 16/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना | योजना का नाम | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
|---------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------------|-----|---|--|--|
| 1 | Rekha Swami S/o Shashi Swami एवं Bhavesh Vaishnav Shashi Swami एवं Aayush Vaishnav Shashi Swami | श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा | SHOP-43 F | 23.22 SQ. METER | JDA | CENTRAL SPINE Sector/Block- S-33 | Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta) | जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पार्इन के ब्लॉक एस-33 के भूखण्ड संख्या 43एफ की लीजडीड दिनांक 24.02.2009 को श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा के नाम से जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2009 को श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा के द्वार श्री शशि स्वामी पुत्र श्री ताराचन्द्र स्वामी के पक्ष में किया गया। श्री शशि स्वामी की मृत्यू दिनांक 18.01.2014 को हो जाने के उपरान्त उनके वारिसान् श्रीमती रेखा स्वामी पत्नि, श्री शशि स्वामी, श्री भावेश वैष्णव, आयुष वैष्णव पुत्रान् श्री शशि स्वामी द्वारा फ्री-होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण में सर्वप्रथम सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है। |
|---|--|---|--------------|--------------------|-----|---|--|--|



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rekha Swami S/o Shashi Swami एवं Bhavesh Vaishnav Shashi Swami एवं Aayush Vaishnav Shashi Swami को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |